<u>न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या 10 , फिरोज़ाबाद।</u>

पीठासीन– निर्दोष कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

विविध अपील संख्या 24/2025

C.N.R. No. UPFD010049052025

1– नगर आयुक्त/उपनगर आयुक्त फिरोजाबाद नगर निगम फिरोजाबाद

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी

प्रति

1– श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रेमशंकर चतुर्वेदी, निवासी 157/4 सुहाग नगर, जिला फिरोजाबाद

..... प्रत्यर्थी/वादी।

निर्णय

1. यह विविध अपील न्यायालय प्राधिकारी, वेतन संदाय अधिनियम, 1936 एवं सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद द्वारा वाद संख्या पी०डब्लू० 51/2014 श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी प्रति नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/विपक्षी ने नियत प्राधिकारी वेतन संदाय अधिनियम 1936, फिरोजाबाद के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि " प्रार्थी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रेमशंकर चतुर्वेदी, निवासी 157/4 सुहाग नगर, फिरोजाबाद फिरोजाबाद में पम्प चालक के रुप में नियोजित कर्मकार है। प्रार्थी की मजदूरी 01.05.2011 से 09.01.2013 तक की रु० 75,936/– है। कई बार मांग करने पर भी भुगतान नहीं किया है। दिनांक 01.05.2011 से 31.01.2011 तक 108/–रु० प्रति दिन से कुल 9936 तथा दिनांक 01.08.2011 से 09.01.2013 तक 125 रु/– प्रति दिन से 66,000/– कुल 75,936 रु० अनुतोष की कीमत दिलाए जाने हेतु याचना की गई है।"

3. प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की प्रस्तर संख्या 1 लगायत प्रस्तर संख्या 4 के कथन असत्य मनगढन्नत, काल्पनिक व आधारहीन है, स्वीकार नहीं है। अतिरिक्त कथन विचारणीय हैं। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की प्रस्तर संख्या 5 के कथन स्वीकार नही है। अतिरिक्त, कथन विचारणीय हैं। प्रार्थना–पत्र की प्रस्तर संख्या 6 (क), (ख), (ग), (घ). (ड.) के कथन मनगढन्नत, काल्पनिक व आधारहीन है, स्वीकार नही है। प्रार्थी विपक्षी से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना–पत्र वैद्यानिक दृष्टि से पोषणीय नही है। प्रार्थना–पत्र

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.07.29 16:52:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–3 वेतन संदाय अधिनियम 1936 के प्राविधानों से बाधित है। प्रार्थना–पत्र धारा–15 वेतन संदाय अधिनियम 1936 के प्राविधानों से बाधित है। विपक्षी संस्थान भारतीय संविधान के अन्तर्गत गठित एक स्थानीय संस्था है। जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करती है। जिसमें श्रमिकों का नियोजन पद निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। जिसके अनुसार रिक्तता की स्थिति में शासन की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। तदोपरान्त लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों में से चयन किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जाता है। तदोपरान्त उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी नगर आयुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है एवं नियोजित कर्मकारों के वेतन हाजरी, अवकाश आदि के अभिलेख नियमानुसार तैयार कर निगम कार्यालय में रखे जाते है। प्रार्थी के सम्बन्ध में उपरोक्त कोई अभिलेख विपक्षी संस्थान में नही बनाये गए हैं। उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई नियुक्ति पत्र कभी जारी नही किया गया, न कभी कोई धनराशि वेतन अथवा मजूदरी के रूप में अदा की गयी। वास्तव में प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षी संस्थान में कभी नही की गयी और उनके द्वारा विपक्षी संस्थान का कोई कार्य नही किया गया। प्रार्थी व विपक्षी के मध्य श्रमिक व सेवायोजक के सम्बन्ध कभी नही रहे। विपक्षी कोई भी कथित धनराशि प्रार्थी को भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नही है। प्रार्थी का वाद दुर्भावनापर्ण है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काल बाधित है, और विलम्ब मोचन का कोई पर्याप्त अथवा अच्छा कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रदर्शित नही किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक बल नही है। अत सव्यय निरस्त होने योग्य है।

4. पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र व आपत्ति का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 17.04.2025 से प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह प्रकीर्ण व्यवहार अपील प्रस्तुत की है।

5. प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से प्रकीर्ण अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि निर्णय आदेश दिनांक 17–04–25 अनुचित अनपेक्षित होने के कारण वैधानिक दृष्टि से पोषणीय नही है। प्रस्तुत प्रकरण में नगर निगम फिरोजाबाद एक निगमित प्राधिकरण है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे अपनी नियुक्ती के सम्बन्ध मे कोई भी सूचना अंकित नही की है और न ही विपक्षी द्वारा अपनी नियुक्ती से संबंधित कोई भी नियुक्ती पत्र संलग्न किया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे दिनांक 01–05–2011 से 09–01–2013 तक के वेतन की मॉग की है। जबकि वादी द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2013 के वेतन की मॉग नही की गई और एक माह का वेतन नियोक्ता पर क्यों छोडा गया है इस का कोई भी स्पष्टीकरण वाद पत्र व अपने साक्ष्य में दाखिल नहीं किया है। विपक्षी द्वारा फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 194 पम्प आपरेटर की सूची दाखिल की थी जिसमें 124 न0 पर अपना नाम अंकित होना

बताया गया है उक्त सूची का कार्यालय अभिलेखो से कोई मेल नही खाता है। विपक्षी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता व टेक्नीकल योग्यता के विषय मे कोई भी सूचना उपलब्ध नही करायी गई है। विपक्षी नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद/नगर निगम फिरोजाबाद का कभी भी कर्मचारी नही रहा है और न ही विपक्षी द्वारा नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद/नगर निगम फिरोजाबाद में कभी कोई कार्य किया है। **दिनांक 01–07–2007 से अब तक अधिकाश ट्यूबवैलो का संचालन निविदा के माध्यम से पंजीकृत फर्म/कम्पनी द्वारा कराया जाता है** तथा उस समय 1 मैसर्स गर्ग इण्टर प्राइजेज 2– माँ मनोज कुमार 3 मा प्रताप सिंह 4 में विमलेश जैन व अन्य रजिस्टर्ड फर्म के पास ट्यूबवैल संचालक का ठेका था। उक्त पंजीकृत फर्म/ कम्पनी द्वारा ही ट्यूववैल का संचालन किया जाता था तथा **उनकी कम्पनी में कार्यरत रहे समस्त कर्मचारियो के वेतन भुगतान व अन्य देयको के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी उक्त फर्म/ कम्पनी की होती है**। नगर निगम के उस समय के सभी पंजीकृत कम्पनी/फर्म का भुगतान नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पूर्व में किया जा चुका है किन्तु **विपक्षी द्वारा अपने वाद में ऐसे किसी भी कम्पनी/फर्म को पार्टी नही बनाया गया है।** नगर पालिका/नगर निगम या अन्य किसी सरकारी संस्था में नियुक्ती हेतु सर्व प्रथम विज्ञप्ती जारी की जाती है आवेदन प्राप्त किये जाते है चयन समिति का गठन किया जाता है तदोपरान्त प्रतियोगी परीक्षा / साक्षत्कार का आयोजन किया जाता है तदोपरान्त स्कूटनी कर चयन समिति के अनुमोदन पर नियुक्ती पत्र जारी किया जाता किन्तु वादी मुकदमा द्वारा ऐसा कोई भी प्रपत्र वाद के साथ संलग्न नही किया गया है यहाँ तक कि वादी द्वारा अपने आवेदन पत्र की प्रति भी दाखिल नही की है। और नही ऐसी किसी प्रक्रिया के वारे में कुछ वताया गया है। वादी द्वारा मात्र मनगणन्त तथ्यो के आधार पर मौखिक कथन कर यह बताया गया था कि वह फिरोजाबाद नगर पालिका में पम्प ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। इसी को आधार मानकर माननीय अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी के हक में उक्त प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया है जो कि अवैधानिक व मनमानी पूर्ण है। वादी द्वारा द्वारा दि० 01–05–2011 से दिनांक 09–01–2013 तक के वेतन की माँग की गई है जबकि अपनी सेवा समाप्ति का दिनाक 10.02.2013 बताया है तथा उससे पूर्व के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कोई भी पे–स्लिप व अन्य कोई साक्ष्य दाखिल नही किये हैं। प्रश्नगत आदेश पारित करने में माननीय अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यो को नजरन्दाज किया गया है। प्रश्नगत आदेश विधि की दृष्टि से त्रुटि पूर्ण है। प्रश्नगत आदेश स्थिर रहने योग्य नही है। धारा 17 वेतन संदाय अधिनियम के अनुपालन में अपीलार्थी द्वारा चैक स 0 364129 दिनाक 24.08.2025 के माध्यम से धनराशि जमा कर दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर न्यायालय श्रीमान् प्राधिकारी वेतन संदाय अधिनियम 1936 द्वारा वाद स० पी.डब्लू 51/2014 श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी बनाम नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त नगर निगम

फिरोजाबाद मे पारित निर्णय आदेश दिनांक 17–04–2025 को निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की कृपा करे।

6. विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रकीर्ण अपील के विरुद्ध आपत्ति दिनांकित 24.01.2026 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि यह कि अपील के अनुच्छेद–1, 2, 3 के तथ्य गलत, निराधार, निरर्थक एवं सारहीन होने के कारण अपील निरस्त होने योग्य है। अपील के आधार के अनुच्छेद–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के तथ्य गलत, भ्रामक काल्पनिक सत्यता से परे होने के कारण एवं अवर न्यायालय में तथ्यो की पुष्टि में अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण अपील निरस्त होने योग्य है। अपील के आधारो के अनुच्छेद–9, 10, 11 के तथ्यों के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में कोई साक्ष्य / अभिलेख दाखिल नहीं किये है। इस कारण अपील निरस्त होने योग्य है। अपील के आधारो के अनुच्छेद–12 के तथ्य कतई गलत है प्रतिपक्षी ने अवर न्यायालय में अपना नियोजन एवं मजदूरी शेष को सिद्ध किया है तदनुसार अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 17–4–25 पारित किया है जो विधि संगत है। इस कारण अपील निरस्त होने योग्य है। 5–यह कि अपील के आधारो के अनुच्छेद–13 के तथ्य अपीलार्थी ने जानबूझकर न्यायालय को भ्रमित करने की चेष्ठा की है। प्रार्थी श्रमिक की सेवाये दिनांक 10–1–13 को समाप्त की गयी थी इस कारण भी अपील निरस्त होने योग्य है। अपील के आधारो के खण्ड–14, 15, 16 के तथ्य कतई गलत विधि विरूद्ध एवं सारहीन है। इस कारण अपील निरस्त होने योग्य है। अपील के आधारो के खण्ड–17 के तथ्य सही है कि अपीलार्थी द्वारा चैक सं0–364129 से दिनांक 24–8–15 को देय धन जमा किया गया था जिसमें से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रतिपक्षी को 50 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि आदेश का अन्ततः अनुपालन हो गया है। तत्पश्चात विधि की अवज्ञा करते हुये जानबूझकर प्रतिपक्षी को परेशान करने की नियत से उपरोक्त अपील संस्थित की गयी है जो सव्यय निरस्त होने योग्य है। अपील काल त्रोहित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपील में न्याय शुल्क नियमानुसार दाखिल नहीं किया गया है इस कारण अपील निरस्त होने योग्य है। प्रतिपक्षी मजदूर ने अपीलाथी के यहाँ पंप चालक के पद पर कार्य किया था दिल 1–5–11 और दिनांक 1–9–13 तक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया है मजदूरी माँगने पर श्रमिक की सेवाये अवैधानिक तरीके से दिनांक 10–1–13 से समाप्त कर दी है। प्रतिपक्षी ने अपनी देय मजदूरी का वाद प्राधिकारी वेतन संदाय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित किया जिसमें प्राधिकारी एक गुनी पेनल्टी सहित दिनांक 27–3–15 को 1,51,972/–रुपये का आदेश पारित किया था। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27–3–15 के अनुसार 1,51,872/– रुपये जमा करके माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने 50 हजार

रुपये प्रतिपक्षी को भुगतान करने पर अपीलार्थी को अपील दाखिल करने का अवसर दिया था। अपीलार्थी ने श्रीमान जिला जज फिरोजाबाद में दिनांक 4–4–16 को अपील दाखिल किया था जो ए० डी० जे० प्रथम फिरोजाबाद ने पुनः सुनकर निर्णय करने के आदेश पारित करते हुये प्राधिकारी को वापिस कर दिया था।प्राधिकारी ने दोनों पक्षो के साक्ष्यो परान्त आदेश दिनांक 17–4–25 पारित किया है। आदेश दिनांक 17–4–25 के विरूद्ध अपीलार्थी ने पुनः उपरोक्त अपील दाखिल कर दी है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2011 से 2025 तक प्रतिपक्षी मजदूर की मजदूरी भुगतान जानबूझकर नहीं कर रहा है। और अपील दर अपील करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वेतन भुगतान अधिनियत–1936 की धारा–20 (6) में प्राविधान किया गया है कि 750/– रुपये प्रतिदिन पेनल्टी लगाकर अपीलार्थी से वसूल किया जाना न्यायोचित होगा। अतः अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये उपरोक्त अपील खारिज की जाये और अपीलार्थी पर वेतन भुगतान अधिनियम–1936 की धारा–20(6) के अनुसार पेनल्टी लगाया जाये। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

7. उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं अपील में दिए गए तर्कों के आधार पर निम्नलिखित विनिश्चिय बिंदु विरचित किए जाते हैं–

(1) क्या विपक्षी/वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी के अधीन प्रश्नगत अवधि में ट्यूबैल ऑपरेटर के रुप में कार्य नहीं किया है ?

(2) क्या विपक्षी/वादी अपीलार्थी/प्रतिवादी से प्रश्नगत अवधि में किए गए कार्य हेतु आवेदित मजदूरी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ?

9. निस्तारण विनिश्चय बिंदु संख्या 01–

वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथन के समर्थन में एक किता छायाप्रति सूची जलकल विभाग के नलकूपों पर कार्यरत ऑपरेटर के विवरण से संबंधित दाखिल की है जिसकी मूल प्रति अपीलार्थी/प्रतिवादी के कब्जे में होना बताई गई है। उल्लेखनीय यह है कि उक्त सूची के संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कूटरचित होने का कथन किया है परन्तु अपने अपील ज्ञापन में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 01.07.2007 से अब तक अधिकांश ट्यूबवैलों का संचालन निविदा के माध्यम से पंजीकृत फर्म/कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा उस समय पंजीकृत ठेकेदार फर्मों के नाम भी अंकित किए गए हैं एवं अनुबंध पत्रों की प्रमाणित प्रतियां एवं भुगतान संबंधी प्रमाणित विवरण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई है। कागज सं० 165 से 169 तक अनुबन्ध पत्र दिनांकित 08.08.2011 की प्रमाणित प्रति है जिसके माध्यम से रामखिलाड़ी वाल्मीकि को ट्यूबैल संचालन का ठेका दिया गया है। उक्त अनुबंध पत्र के मद सं० 10 व 11 में यह अंकित है कि प्रथम पक्ष (नगर पालिका परिषद, फिरोजाबाद) अपने संचालकों का वेतन विवरण

नगर पालिका परिषद की खिड़की से जलकल विभाग के एक अधिकारी के समक्ष प्रतिमाह निर्धारित तिथि पर करना होगा। द्वितीय पक्ष (ठेकेदार) संचालकों का वेतन वितरण इस प्रकार से करेगा कि जलकल विभाग के कार्य संचालन में कोई व्यवधान न हो तथा एक बार में एक–तिहाई कर्मचारियों से अधिक एकत्रित न हों। अनुबन्ध की मद सं० 5 में नलकूपों से संबंधित संचालकों की तैनाती हेतु शर्तें दी गई है जिसमें यह भी शर्त है कि द्वितीय पक्ष को समस्त नलकूप संचालकों की सूची प्लाटों के अनुसार कार्यालय में देनी होगी। मद सं० 08 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि नलकूप संचालन के कार्य के निरीक्षण के दौरान संचालन की लापरवाही, अनुपस्थिति तथा नलकूप में तालाबंदी मिलने पर पालिका के सक्षम अधिकारी के निर्देश पर संचालकों को तुरन्त बदलना होगा। इसी प्रकार के अनुबन्ध अग्रिम वर्षों हेतु भी दिनांक 08.07.2013 को निष्पादित किए गए हैं जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। इससे यह परिलक्षित है कि ठेकेदार के माध्यम से नलकूप संचालकों को अनुबंध के सापेक्ष ट्यूबवैलों पर तैनाती दी गई थी और उन पर नियंत्रण नगर पालिका फिरोजाबाद का था तथा उनके वेतन का वितरण भी नगर पालिका के द्वारा ही किया जाता था।

10. यह उल्लखनीय है कि उपरोक्त के बावजूद भी नगर निगम/अपीलार्थी द्वारा ट्यूबवैल आपरेटरों की तैनाती तथा उन्हें वितरित किए गए वेतन के विवरण संबंधी ऐसे दस्तावेज विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे वादी द्वारा दाखिल छायाप्रति सूची का खण्डन होता। ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध विपरीत उपधारणा को बल मिलता है कि यदि ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होते तो वह स्वंय अपीलार्थी के हित के विरुद्ध होते। इससे इस तथ्य को भी बल मिलता है कि वादी ने जो छायाप्रति सूची ट्यूबवैल आपरेटरों के विवरण संबंधी दाखिल की है वह सही है तथा उसकी मूल सूची अपीलार्थी के कब्जे में है। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य की संभाव्यता के सिद्धांत के अनुसार वादी का ट्यूबवैल आपरेटर के रुप में अपीलार्थी के अधीन कार्य करना साबित माना जा सकता है।

11. इसके अतिरिक्त वादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट सी० सं० 57468/2015 नगर निगम बनाम श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी निर्णीत दिनांकित 08.10.2015 की छायाप्रति दाखिल की है जिसका सत्यापन माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट से करने पर यह आदेश अपलोड पाया गया है। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय ने पैरा 05 में यह अंकित किया है कि " The contention of the learned counsel for the petitioner is **that the workman was never appointed by the petitioner, <u>the workman being a contractual appointee on dailywage basis engaged through a contractor</u>** would not be eligible for reinstatement with 50% backwages but would be

entitiled to lumsum compensation." इससे यह परिलक्षित है कि अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह माना है कि धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उन्के यहां कॉनट्रैक्टर के माध्यम से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे।

12. उपरोक्त वर्णित रिट सी० सं० 57468/2015 का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2016 के आदेश के माध्यम से किया गया है जिसका अवलोकन माननीय न्यायालय की वेबसाइट से किया गया तो यह परिलक्षित है कि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा दाखिल की गई रिट को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी/वादी के पक्ष में पारित श्रम न्यायालय, फिरोजाबाद के अवार्ड दिनांकित 12.03.2015 को सही मानते हुए पुष्ट किया गया तथा नगर निगम फिरोजाबाद को आदेश किया गया कि श्रम न्यायालय में जमा धनराशि मु० 50,000/– विपक्षी को प्रदान की जाए एवं 40 प्रतिशत पिछली मजदूरी गणना करते हुए विपक्षी को प्रदान की जाए। नगर निगम द्वारा कर्मचारी को पुनः नियुक्त करते हुए कनिष्ठम संविदा पर लगे कर्मी की सेवाएं अनियमित कर दी जाए। यह भी आदेश दिया गया है कि कर्मचारी के अवशेष का भुगतान अंदर तीन माह आदेश की प्रति नगर निगम को प्राप्त होने के उपरांत किया जाए।

13. उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले में यह विनिश्चय करने में कोई वैधानिक अवरोध नहीं है कि विपक्षी/वादी ने अपीलार्थी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रुप में नलकूप आपरेटर का कार्य प्रश्नगत अवधि में किया है। तद्नुसार विनिश्चय बिंदु संख्या 01 निस्तारित किया जाता है।

14. निस्तारण विनिश्चय बिंदु सं० 02–

इस बिंदु के संबंध में मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है जिसमें मजदूरी के संदाय के लिए नियोजक को उत्तरदायी माना गया है। उपधारा (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि उपधारा (1) किसी बात के होते हुए भी नियोजक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ठेकेदार नियोजक द्वारा अभिहित व्यक्ति के ऐसा संदाय करने में असफल रहने की दशा में इस अधिनियम के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित सब मजदूरी का संदाय करे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि तर्क के रुप में यह मान भी लिया जाए कि विपक्षी/वादी को मजदूरी का संदाय संबंधित ठेकेदार के द्वारा किया जाना था परन्तु यह उत्तरदायित्व अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा स्वंय से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विपक्षी/वादी ने जो मजदूरी का कार्य किया है वह स्वंय उनके अधीन एवं निर्देशों के अनुक्रम में किया है। अपीलार्थी ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके है कि उनके द्वारा पहले ही विपक्षी को भुगतान किया जा चुका है जबकि विपक्षी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयान से यह साबित किया है कि उसे वाद में वर्णित प्रश्नगत अवधि दिनांक 01.05.2011 से 09.01.2013 तक की गई मजदूरी के एवज में कोई भुगतान नहीं किया गया है। अतः विपक्षी/वादी को उपरोक्त अवधि

हेतु मजदूरी का संदाय करने के लिए अपीलार्थी उत्तरदायी है। तद्नुसार यह विनिश्चय बिंदु निस्तारित किया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के सम्यक् अनुपालन एवं साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर पारित किया गया है जो वैधानिक दृष्टि से भी उचित है और पुष्ट किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण व्यवहार अपील निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायालय प्राधिकारी, वेतन संदाय अधिनियम, 1936 एवं सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद द्वारा वाद संख्या पी०डब्लू० 51/2014 श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी प्रति नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद में पारित आदेश दिनांकित 17.04.2025 पुष्ट किया जाता है। अपील आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाए।

अपील पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार सुरक्षित की जाए।

दिनांक 29.07.2026

(निर्दोष कुमार)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं. 10 फिरोजाबाद।
आई.डी. कोड UP 1659

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 29.07.2026

(निर्दोष कुमार)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं. 10 फिरोजाबाद।
आई.डी. कोड UP 1659